बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड

मानक संचालन प्रक्रिया

प्रमाण पत्र में सुधार हेतु मार्गदर्शिका

दस्तावेज़ संख्या	BBOSE/SOP/SSS/2026-27/01
संस्करण	2.0
प्रभावी तिथि	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, BBOSE द्वारा अनुमोदन उपरांत
निर्माणकर्ता	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, BBOSE द्वारा गठित समिति
अनुमोदक	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, BBOSE
वर्गीकरण	आंतरिक एवं शिक्षार्थी उपयोग हेतु

संशोधन इतिहास:

संस्करण	तिथि	विवरण	निर्माणकर्ता
1.0	26-11-2025	SOP का प्रथम संस्करण	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, BBOSE द्वारा गठित समिति
2.0	10-09-2026	SOP का द्वितीय संस्करण	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, BBOSE द्वारा गठित समिति

Table of Contents

1. उद्देश्य (Purpose) 3
2. कार्यक्षेत्र (Scope) 3
3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 3
4. सुधार की श्रेणी 3
5. शिक्षार्थी हेतु मार्गदर्शिका (For Learner) 4
6. कार्यालय उपयोग हेतु मार्गदर्शिका (Office Use) 7
7. त्रुटि सुधार आवेदन के निष्पादन की कार्यप्रवाह प्रक्रिया: 11
8. समय-सीमा सारांश (Timeline Summary): 12
8. अनुमोदन (Approval): 13

1. उद्देश्य (Purpose)

इस SOP का उद्देश्य शिक्षार्थियों के अभिलेखों, अंकपत्रों (Marksheets), प्रव्रजन प्रमाण-पत्रों (Migration Certificates) एवं अंतिम प्रमाण-पत्रों (Certificates) में दर्ज नाम, माता/पिता के नाम एवं जन्मतिथि संबंधी त्रुटियों के सुधार हेतु एक मानकीकृत, पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करना है, ताकि शिक्षार्थियों को सुसंगत सेवा प्राप्त हो तथा कार्यालयीन कार्यवाही में एकरूपता बनी रहे।

2. कार्यक्षेत्र (Scope)

यह SOP बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के अभिलेखों, अंकपत्रों, प्रव्रजन प्रमाण-पत्रों एवं अंतिम प्रमाण-पत्रों में त्रुटि-सुधार से संबंधित समस्त मामलों पर लागू होगी, तथा शिक्षार्थी सहायता सेवा (SSS) Cell, IT Cell, परीक्षा शाखा एवं प्रेषण शाखा (Dispatch Section) सहित संबंधित सभी शाखाओं द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा।

3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

शिक्षार्थी त्रुटि-सुधार हेतु अपना आवेदन निम्नलिखित दो माध्यमों में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं —

(क) ऑफलाइन माध्यम: निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों सहित BBOSE के प्रधान कार्यालय, पटना में प्रेषण शाखा (Dispatch Section) के माध्यम से आवेदन जमा किया जा सकता है।

(ख) ऑनलाइन माध्यम: 'लर्नर लॉगिन' (Learner Login) में उपलब्ध शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) के माध्यम से भी अनुरोध ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है।

4. सुधार की श्रेणी

BBOSE के अभिलेखों में त्रुटि-सुधार संबंधी मामलों को त्रुटि की प्रकृति एवं परिमाण के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् लघु सुधार (Minor Correction) एवं वृहद सुधार (Major Correction)—

(क) लघु सुधार (Minor Correction): लघु सुधार से आशय ऐसे सुधारों से है जिनमें अभिलेखों में अंकित विवरण में केवल सीमित स्तर की त्रुटि, जैसे टंकण त्रुटि (Typographical Error), वर्तनी संबंधी त्रुटि (Spelling Error) अथवा अन्य लघु तथ्यात्मक त्रुटि का परिमार्जन अपेक्षित हो तथा जिससे अभिलेख में अंकित व्यक्ति अथवा विवरण की मूल पहचान प्रभावित न होती हो।

(ख) वृहद सुधार (Major Correction): वृहद सुधार से आशय ऐसे सुधारों से है जिनमें अभिलेखों में अंकित नाम, माता/पिता/संरक्षक के नाम अथवा अन्य विवरण में अपेक्षाकृत व्यापक परिवर्तन का अनुरोध किया गया हो, जिससे अभिलेख में दर्ज विवरण में महत्वपूर्ण संशोधन परिलक्षित होता हो। ऐसे मामलों में सुधार की अनुमन्यता का निर्धारण उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रासंगिक नियमों के आधार पर किया जाएगा।

10.09.26

5. शिक्षार्थी हेतु मार्गदर्शिका (For Learner)

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़	आवेदन के लिए समय-सीमा	समाधान में लगने वाला समय	सुधार शुल्क
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. शिक्षार्थी के नाम / माता के नाम / पिता के नाम में त्रुटि अथवा वर्तनी संबंधी त्रुटि (Spelling Error) का संशोधन	**Minor (लघु)**	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या, पंजीयन संख्या, एवं माता / पिता का नाम अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी एवं माता / पिता के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*। 5. शिक्षार्थी एवं माता / पिता के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।	कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं।	37 दिन	नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।
2. शिक्षार्थी के नाम में वृहद परिवर्तन (Major Change) जैसे नाम या मध्य नाम या उपनाम में परिवर्तन	**Major (वृहद)**	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। *(शपथ-पत्र (Affidavit) - वयस्क शिक्षार्थी के मामले में शपथ-पत्र स्वयं शिक्षार्थी द्वारा तथा अवयस्क शिक्षार्थी के मामले में माता/ पिता/ संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।)* 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के समाचार-पत्रों में प्रकाशित नाम परिवर्तन संबंधी सूचना। 4. राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	37 दिन	नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।

10.09.26

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़	आवेदन के लिए समय-सीमा	समाधान में लगने वाला समय	सुधार शुल्क
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		नाम परिवर्तन अधिसूचना की प्रति। 5. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 6. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।			
3. माता / पिता / संरक्षक के नाम के नाम में वृहद परिवर्तन (Major Change) जैसे नाम या मध्य नाम या उपनाम में परिवर्तन	**Major (वृहद)**	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या, पंजीयन संख्या, एवं माता / पिता / संरक्षक का नाम अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी एवं माता / पिता / संरक्षक के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	37 दिन	नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।
4. जन्मतिथि (Date of Birth) में सुधार	**Major (वृहद)**	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, जन्मतिथि, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	45 दिन	नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।

10-09-25

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़	आवेदन के लिए समय-सीमा	समाधान में लगने वाला समय	सुधार शुल्क
1	2	3	4	5	6
5. शिक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु आवेदन दिया गया है, परंतु शिक्षार्थी द्वारा दिए गए मार्कशीट तथा बोर्ड के टी.आर. रिकॉर्ड में भिन्नता होने पर टी.आर. को आधार बनाया जाएगा।	**Minor (लघु)**	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	37 दिन	नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।
6. शिक्षार्थी का फोटो सुधार	**Minor (लघु)**	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, फोटो, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. पासपोर्ट आकार के दो रंगीन फोटो। 4. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 5. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	37 दिन	नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।
7. नामांकन प्रपत्र में अंकित फोटो में हस्ताक्षर शिक्षार्थी के नाम से भिन्न हैं।	**Minor (लघु)**	ऐसे प्रकरणों में किसी प्रकार का सुधार अनुमान्य नहीं होगा।	-	-	-

महत्वपूर्ण शर्तें / नोट:

1. उच्चतर माध्यमिक (12वीं) पाठ्यक्रम के शिक्षार्थियों के नाम, माता/पिता के नाम अथवा जन्मतिथि में त्रुटि सुधार शिक्षार्थी द्वारा नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न माध्यमिक (10वीं) के अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा।

10.09.26

2. शिक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ शपथ-पत्र (Affidavit), शिक्षार्थी एवं माता/पिता का आधार कार्ड तथा उच्चतर माध्यमिक (12वीं) पाठ्यक्रम में नामांकन के समय संलग्न माध्यमिक (10वीं) का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र, साथ ही उच्चतर माध्यमिक (12वीं) का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. संशोधित एवं त्रुटि-सुधारित दस्तावेज़ तभी निर्गत किए जाएंगे, जब शिक्षार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क के साथ बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) द्वारा पूर्व में निर्गत त्रुटिपूर्ण मूल दस्तावेज़ (अंकपत्र, प्रव्रजन प्रमाण-पत्र अथवा अंतिम प्रमाण-पत्र) जमा किए गए हों।

4. नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।

5. उपरोक्त अंकित सभी प्रकार का सुधार औपबंधिक रूप से किया जाएगा। भविष्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो किए गए सुधार को रद्द करते हुए संबंधित के विरूध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

6. कार्यालय उपयोग हेतु मार्गदर्शिका (Office Use)

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	निर्धारित प्रक्रिया	आवेदन के लिए समय-सीमा	आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़	सक्षम पदाधिकारी	समाधान में लगने वाला समय
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. शिक्षार्थी के नाम / माता के नाम / पिता के नाम में त्रुटि अथवा वर्तनी संबंधी त्रुटि (Spelling Error) का संशोधन	**Minor (लघु)**	प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), एवं उसके साथ शिक्षार्थी / माता / पिता के आधार कार्ड के आधार पर सुधार किया जाएगा।	कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं।	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या, पंजीयन संख्या, एवं माता / पिता का नाम अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी एवं माता / पिता के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*। 5. शिक्षार्थी एवं माता / पिता के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।	सचिव	37 दिन

10.02.26

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	निर्धारित प्रक्रिया	आवेदन के लिए समय-सीमा	आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़	सक्षम पदाधिकारी	समाधान में लगने वाला समय
1	2	3	4	5	6	7
2. शिक्षार्थी के नाम में वृहद परिवर्तन (Major Change) जैसे नाम या मध्य नाम या उपनाम में परिवर्तन	**Major (वृहद)**	शिक्षार्थी के नाम, मध्य नाम अथवा उपनाम में वृहद परिवर्तन नामांकन प्रपत्र एवं नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। (*शपथ-पत्र (Affidavit) - वयस्क शिक्षार्थी के मामले में शपथ-पत्र स्वयं शिक्षार्थी द्वारा तथा अवयस्क शिक्षार्थी के मामले में माता/ पिता/ संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।*) 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के समाचार-पत्रों में प्रकाशित नाम परिवर्तन संबंधी सूचना। 4. राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित नाम परिवर्तन अधिसूचना की प्रति। 5. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 6. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	सचिव	37 दिन
3. माता / पिता / संरक्षक के नाम के नाम में वृहद परिवर्तन (Major Change) जैसे नाम या मध्य नाम या	**Major (वृहद)**	शिक्षार्थी के नाम, मध्य नाम अथवा उपनाम में वृहद परिवर्तन नामांकन प्रपत्र एवं नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या, पंजीयन संख्या, एवं माता / पिता / संरक्षक का नाम अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य	सचिव	37 दिन

10.09.26

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	निर्धारित प्रक्रिया	आवेदन के लिए समय-सीमा	आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़	सक्षम पदाधिकारी	समाधान में लगने वाला समय
1	2	3	4	5	6	7
उपनाम में परिवर्तन			(ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी एवं माता / पिता / संरक्षक के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।		
4. जन्मतिथि (Date of Birth) में सुधार	**Major (वृहद)**	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के अभिलेखों में एक बार दर्ज जन्मतिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। तथापि, वास्तविक टंकण त्रुटि (Typographical Error) अथवा तथ्यात्मक त्रुटि (Factual Error) के कारण अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के परिमार्जन संबंधी अनुरोधों पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में सुधार नामांकन प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, जन्मतिथि, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	45 दिन

10.09.26

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	निर्धारित प्रक्रिया	आवेदन के लिए समय-सीमा	आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़	सक्षम पदाधिकारी	समाधान में लगने वाला समय
1	2	3	4	5	6	7
5. शिक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु आवेदन दिया गया है, परंतु शिक्षार्थी द्वारा दिए गए मार्कशीट तथा बोर्ड के टी.आर. रिकॉर्ड में भिन्नता होने पर	**Minor (लघु)**	टी.आर. को आधार बनाया जाएगा।	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 4. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	सचिव	37 दिन
6. शिक्षार्थी का फोटो सुधार	**Minor (लघु)**	शिक्षार्थी के फोटो में सुधार नामांकन प्रपत्र में उपलब्ध फोटो के आधार पर किया	1. दिसम्बर, 2022 अथवा उससे पूर्व (ऑफलाइन प्रक्रिया) नामांकन की तिथि से 10 वर्ष 2. दिसम्बर, 2022 के पश्चात (ऑनलाइन प्रक्रिया) नामांकन/पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष	1. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निष्पादित एवं उनके द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें शिक्षार्थी का नाम, आधार संख्या, फोटो, रोल संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित हो। 2. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक/उप-समन्वयक के मंतव्य सहित अग्रसारित आवेदन। (Forwarding Letter) 3. पासपोर्ट आकार के दो रंगीन फोटो। 4. शिक्षार्थी के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 5. माध्यमिक का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ *(उच्चतर माध्यमिक में सुधार हेतु)*।	सचिव	37 दिन

10.09.26

प्रमाण पत्र में सुधार के विषय	सुधार श्रेणी	निर्धारित प्रक्रिया	आवेदन के लिए समय-सीमा	आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़	सक्षम पदाधिकारी	समाधान में लगने वाला समय
1	2	3	4	5	6	7
7. नामांकन प्रपत्र में अंकित फोटो में हस्ताक्षर शिक्षार्थी के नाम से भिन्न हैं।	**Minor (लघु)**	ऐसे प्रकरणों में किसी प्रकार का सुधार अनुमान्य नहीं होगा।	-	-	-	-

महत्वपूर्ण शर्तें / नोट:

1. उच्चतर माध्यमिक (12वीं) पाठ्यक्रम के शिक्षार्थियों के नाम, माता/पिता के नाम अथवा जन्मतिथि में त्रुटि सुधार शिक्षार्थी द्वारा नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न माध्यमिक (10वीं) के अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा।
2. शिक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ शपथ-पत्र (Affidavit), शिक्षार्थी एवं माता/पिता का आधार कार्ड तथा उच्चतर माध्यमिक (12वीं) पाठ्यक्रम में नामांकन के समय संलग्न माध्यमिक (10वीं) का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र, साथ ही उच्चतर माध्यमिक (12वीं) का अंकपत्र, प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संशोधित एवं त्रुटि-सुधारित दस्तावेज़ तभी निर्गत किए जाएंगे, जब शिक्षार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क के साथ बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) द्वारा पूर्व में निर्गत त्रुटिपूर्ण मूल दस्तावेज़ (अंकपत्र, प्रव्रजन प्रमाण-पत्र अथवा अंतिम प्रमाण-पत्र) जमा किए गए हों
4. नामांकन की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों तक त्रुटि सुधार हेतु ₹300/- तथा उसके उपरांत ₹600/- का सुधार शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के नाम देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।
5. उपरोक्त अंकित सभी प्रकार का सुधार औपबंधिक रूप से किया जाएगा। भविष्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो किए गए सुधार को रद्द करते हुए संबंधित के विरूध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

7. त्रुटि सुधार आवेदन के निष्पादन की कार्यप्रवाह प्रक्रिया:

1. शिक्षार्थी द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रेषण शाखा (Dispatch Section) में अथवा ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाता है।
2. आवेदन प्रेषण शाखा (Dispatch Section) द्वारा शिक्षार्थी सहायता सेवा (Student Support Services - SSS) Cell को प्राप्त कराया जाता है।
3. शिक्षार्थी सहायता सेवा (SSS) Cell द्वारा आवेदन एवं संलग्न अभिलेखों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। यदि आवेदन अथवा आवश्यक अभिलेख अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो शिक्षार्थी को आवश्यक सूचना प्रदान कर अभिलेखों की पूर्ति हेतु कहा जाता है।
4. शिक्षार्थी सहायता सेवा (SSS) Cell द्वारा संचिका में नामांकन प्रपत्र एवं TR संलग्न करने के लिए संचिका IT Cell एवं परीक्षा शाखा में भेजी जाती है।